



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग



6वीं, 7वीं और 8वीं मंजिल, टॉवर-बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर,

नौरोजी नगर, नई दिल्ली-110029, फ़ोन: 23353503,

फ़ैक्स: 23753923, वेबसाइट: www.cercind.gov.in

सत्यमेव जयते

याचिका सं. 176/टीएल/2024

दिनांक: 26.06.2024

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

पावरग्रिड परली ट्रांसमिशन लिमिटेड, बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016 द्वारा "विनियमित टैरिफ़ तंत्र" (आरटीएम) (इसके बाद 'पारेषण योजना/परियोजना' के रूप में संदर्भित) मोड के माध्यम से आरई परियोजना के अंतरसंयोजन के लिए 765/400 केवी परली (नया) सबस्टेशन पर 400केवी लाइन बे के कार्यान्वयन के लिए पृथक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 14 के अधीन आवेदन किया गया है। जिस परियोजना के लिए पारेषण अनुज्ञप्ति मांगी गई है, उसका कार्य-क्षेत्र निम्नानुसार है:

क्रम सं.	पारेषण योजना का दायरा	अनुमानित लागत (₹ करोड़)	कार्यान्वयन की समय-सीमा
1	आरई परियोजना के अंतरसंयोजन के लिए 765/400 केवी परली (नया) सबस्टेशन पर 400केवी लाइन बे	18	31-12-2025

- सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 30.4.2024 के अपने पत्र द्वारा प्रस्तावित पारेषण प्रणाली को स्थापित करने के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है।
- रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 176/टीएल/2024 में दिनांक 25.6.2024 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोल्लिखित पारेषण योजना की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।
- पावरग्रिड परली ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंधों एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट <https://www.pginvit.in/pptl.aspx> पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का पालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षित किया जा सकता है।
- नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक 9.7.2024 तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- आयोग द्वारा दिनांक 11.7.2024 को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता/-

(हरप्रीत सिंह पृथी)

सचिव